

4

## छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक

/वि.स./स्था./2021

रायपुर, दिनांक / /2021

### //कार्यालय-सूचना//

आदेशानुसार, पंचम छत्तीसगढ़ विधान सभा का बारहवां सत्र दिनांक 13 से 17 दिसम्बर, 2021 तक आहूत किया गया है। अतः कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु जिन अधिकारी/कर्मचारियों ने कोविड -19 के टीकाकरण का प्रथम डोज नहीं लगवाया है वे 4 दिसम्बर, 2021 के पूर्व प्रथम डोज अनिवार्य रूप से लगवा लें, और यदि प्रथम डोज लग चुका है तो दूसरा डोज भी निर्धारित अवधि के भीतर अवश्व लगवायें। अधिकारी/कर्मचारी जो टीकाकरण (प्रथम एवं द्वितीय डोज) के संबंध में जानकारी नहीं दिये हैं वे उक्त संबंध में 4 दिसम्बर, 2021 तक श्रीमती उषा पिल्लई, निज सचिव को अनिवार्यतः उपलब्ध करायें।

आदेश से,




उप सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर, दिनांक 30/11/2021

पृ.क्रमांक 10981  
/वि.स./स्था.2021  
प्रतिलिप

- 01.मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा, के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
- 02.मान. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा, के विशेष सहायक को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
- 03.मान. उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा, के निज सहायक को मान. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
- 04.प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, के स्टाफ आफिसर को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 05.समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- 06.सर्वर कक्ष।



उप सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा